ब न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 17/2020

जमुनी देवी –बनाम–राज्य

तारिख	–:आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षरः–	अभियुक्ति
	आवेदिका जमुनी देवी, पति बुलक राणा, ग्राम सिधुचक, पो0–वृन्दावन, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग ने आवेदन समर्पित किया है कि मौजा तेतरिया, थाना चौपारण, थाना नं0 59, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 22, प्लॉट नं0 281, रकबा 2.5 डी0 एवं खाता सं0 35, प्लॉट सं0 282, रकबा 02 डी0 भूमि बिक्रेता देवेन्द्र सिंह वगै0 से क्रय की गयी है, प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज हेतु आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था जिसके आलोक में दाखिल खारिज वाद सं0 45R27/2018-19 द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण ने दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया। आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृति का कारण हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदनानुसार आवेदित वाद से संबंधित खेसरा का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। खेसरा विवरण अपलोड करने की कार्रवाई निर्धारित समय पर की जायगी। आवेदक से पुनः आवेदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायगी। अतः नामांतरण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इस कार्यालय के पत्रांक 205, दिनांक 19.11.2020 द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी चौपारण से की गयी थी जिसके आलोक में अंचल अधिकारी के पत्रांक 12, दिनांक 06.01.2021 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा तेतरिया, थाना चौपारण, थाना नं0 59, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 22, प्लॉट नं0 281, रकबा 2.5 डी0 एवं खाता सं0 35, प्लॉट सं0 282, रकबा 02 डी0 रैयती खाते की भूमि है। प्रश्नगत भूमि आवेदिका को विक्रय पत्र केवाला द्वारा हासिल है। ऑनलाईन पंजी–II में खेसरा का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। खेसरा का विस्तृत विवरण अपलोड करने हेतु जमाबंदी रैयत की दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उक्त दस्तावेज समय सीमा के अन्दर उपलब्ध नहीं कराने के पश्चात नामांतरण आवेदन अस्वीकृत किया गया है। अतएव जमुनी देवी, पति बुलक राणा, ग्राम सिधुचक, पो0–वृन्दावन, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग को निदेशित किया जाता है कि खेसरा का विस्तृत विवरणी अपलोड करने हेतु जमाबंदी रैयत का दस्तावेज एवं आवश्यक राजस्व कागजात अंचल कार्यालय चौपारण में जमा करना सुनिश्चित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण को आदेश दिया जाता है कि आवेदिका के प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा एवं जमा किये गये राजस्व कागजात जाँचोपरांत सही पाया जाता है तो नियमानुसार ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुए पंजी–II में प्रश्नगत भूमि	

की जमाबंदी आवेदिका के नाम से खोलते हुए शुद्धि पत्र एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बरही, (हजारीबाग)	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बरही, (हजारीबाग)

ज्ञापांक 55/250 बरही, दिनांक 29/01/2021

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, चौपारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)